



ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

सतत् जीविकोपार्जन योजना एक नई राह

माह - दिसम्बर 2024 || अंक - 41

सतत् जीविकोपार्जन योजना से आत्मविश्वास और उद्यमिता को मिला बढ़ावा

अन्दर के पृष्ठों में...



शराबबंदी से प्रभावित
गियानी मुर्मू की सफलता की कहानी
(पृष्ठ - 02)



संजू देवी की संघर्ष और
सफलता की कहानी
(पृष्ठ - 03)



रोजगार मिलने से
जीवन को नई दिशा मिली
(पृष्ठ - 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने अत्यंत निर्धन परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत्यंत निर्धन परिवार गरीबी के कारण सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद दयनीय स्थिति में होते हैं। उनकी खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति उनके आत्मविश्वास को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। इस योजना के तहत चयनित परिवारों का क्षमतावर्धन करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है और उन्हें उद्यम विकास का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जाता है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को व्यवसाय से जुड़ी बुनियादी जानकारी और उद्यमिता कौशल विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है। तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान, उन्हें समस्याओं और शक्तियों की पहचान, आजीविका आकांक्षा एवं समूह के महत्व के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा, उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि समाज के साथ जुड़कर किस प्रकार सामूहिक प्रयासों से गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर सौभाग्य चक्र का निर्माण किया जा सकता है।

लाभार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मास्टर संसाधन सेवियों (एमआरपी) द्वारा नियमित गृह भ्रमण और क्षमतावर्धन किया जाता है। प्रशिक्षण में जीविकोपार्जन के साधनों के उपयोग, चल-अचल संपत्तियों के प्रबंधन और बही-खाता संधारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन बुनियादी कौशलों से लाभार्थियों को न केवल व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है बल्कि उन्हें सही दिशा में व्यवसाय संचालित करने की भी जानकारी मिलती है।

व्यवसाय की बुनियादी सीख

प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को छोटे व्यापार की अवधारणा, व्यवसाय के उद्देश्य, खरीदारी और विक्रय की रणनीति, बिक्री मूल्य निर्धारण और समय प्रबंधन जैसे विषयों पर गहन जानकारी दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि व्यापार में उधार बिक्री, खराब सामान का नष्ट होना, चोरी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों से कैसे बचा जाए। साथ ही, नकद प्रबंधन, बचत, और मुनाफे का सही उपयोग जैसे वित्तीय प्रबंधन के पहलुओं पर भी जोर दिया जाता है।

चुनौतियों का समाधान

व्यापार के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी विषम परिस्थितियों में भी अपने व्यवसाय को नुकसान से बचाने और लाभप्रद बनाए रखने में सक्षम हों।

आत्मनिर्भरता का साहस

यह प्रशिक्षण लाभार्थियों के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करता है और उन्हें उद्यमिता की दिशा में एक मजबूत शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, जो कभी मुख्यधारा से कटे हुए थे, अब विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों से जुड़कर सफलतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये परिवार न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं बल्कि समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे हैं।

प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थी परिवारों की औसत आय में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। उनके जीवन में आए इस बदलाव का श्रेय उनके आत्मविश्वास, सामूहिक सहयोग, और सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मिले प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग से आया है। यह योजना अत्यंत निर्धन और दयनीय स्थिति में जी रहे परिवारों को एक नई दिशा देने के साथ-साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का सशक्त माध्यम बन गयी है।

शराबबंदी से प्रभावित गियानी मुर्मू की सफलता की कहानी

गियानी मुर्मू की कहानी न केवल उनकी मेहनत और संघर्ष की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के राजगांव गाँव में रहने वाली गियानी मुर्मू एक अनुसूचित जनजाति परिवार से हैं। उनके पास महज एक कट्टा जमीन है, जिस पर वह अपने परिवार के साथ रहती हैं। पहले वह घर पर ही देशी शराब बनाकर बेचती थीं, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद गियानी मुर्मू को यह काम बंद करना पड़ा, जिससे उनका जीवन—यापन बेहद कठिन हो गया।

इस कठिन परिस्थिति में गियानी मुर्मू को सतत् जीविकोपार्जन योजना से मदद मिली। आरती जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदियों द्वारा सर्वे में गियानी मुर्मू का नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया गया और उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। योजना के तहत, उन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये मिले और जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 16,000 रुपये से ग्राम संगठन द्वारा 5 बकरी खरीदकर दिया गया। इसके अलावे उन्हें सात महीने तक प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता भी दी गई।

योजना के तहत खरीदी गई पांचों बकरियों को गियानी मुर्मू ने पालना शुरू किया। बाद में उन्होंने एक गाय भी खरीद ली। अब वह बकरी और गाय दोनों का पालन करती हैं और प्रतिदिन गाय का 5-6 लीटर दूध बेचकर 200-250 रुपये कमा रही हैं। आज उनकी कुल परिसंपत्ति लगभग 60 हजार रुपये की हो गई है और उनके पास 15,000 रुपये की बचत भी है। इस आय से वह अपने परिवार का अच्छे से पालन-पोषण कर रही हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रही है। गियानी मुर्मू ने अपना बीमा भी करवाया है और अब उनके पास राशन कार्ड भी है।

गियानी मुर्मू ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है और अब वह पशुपालन के क्षेत्र में और अधिक विस्तार करने की योजना बना रही हैं।



जीविका की मदद से खुशहाल जीवन की शुरुआत

लखीसराय जिला स्थित गढ़ी बिशुनपुर पंचायत के सलौना चक रविदास टोला गाँव में रहने वाली सुखो देवी एवं उनके पति दोनों शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। पहले यह दंपति भीख मांगकर जीवन यापन करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। समाजसेवियों की मदद से कुछ समय तक भोजन मिला, लेकिन लॉकडाउन के लंबे खींचने से उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई।

इनकी दयनीय हालात के बारे में जानकारी मिलने के उपरांत वर्ष 2021 में राजारानी जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया गया। इस योजना के तहत किराना दुकान खोलने के लिए उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये का सामान खरीदारी कर ग्राम संगठन द्वारा दिया गया एवं 10,000 रुपये की विशेष निवेश निधि प्रदान की गयी। इसके अलावा, सात महीने तक उन्हें प्रत्येक माह 1,000 रुपये की अंतराल सहायता राशि भी प्रदान की गयी।

इस सहायता से सुखो देवी और उनके पति ने किराना दुकान शुरू किया और धीरे-धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वे प्रति माह औसतन 8-9 हजार रुपये कमा रहे हैं। आर्थिक तंगी दूर होने के साथ-साथ अब वे भीख मांगना छोड़ चुके हैं जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी स्थिति में और सुधार आया है। अब सुखो देवी और उनके पति का जीवन खुशहाल है और वे अपनी मेहनत और जीविका के सहारे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।



सतत् जीविकोपार्जन योजना से श्रद्धालता जीवन



संजू देवी की संघर्ष और सफलता की कहानी

जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड के टेहटा गांव की निवासी संजू देवी की कहानी गरीबी एवं संघर्ष से सफलता की है। संजू देवी और उनके पति ब्रजेश कुमार पहले दैनिक मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत खराब थी। घर का खर्च और चार बच्चों की देखभाल करना उनके लिए मुश्किल था। कई बार वह अपने समूह से छोटे-छोटे ऋण लेतीं, लेकिन उन्हें समय पर चुकता करना भी कठिन हो जाता था। इस कारण उनके पति मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। एक समय ऐसा आया जब वे मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहे, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी संजू देवी पर आ गई।

संजू देवी की स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन द्वारा वर्ष 2020 में उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। इस योजना के तहत संजू देवी को बैग और खिलौने की दुकान खोलने के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये की परिसंपत्ति उपलब्ध करायी गयी। उन्हें 7 माह तक प्रति माह 1,000 रुपये की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि भी दी गई, जिससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिला। साथ ही उन्हें 10,000 रुपये की विशेष निवेश राशि भी दी गई। आज संजू देवी की दुकान की कुल परिसंपत्ति लगभग 1 लाख रुपये की हो गई है, और वे प्रति माह 9-10 हजार रुपये कमा रही हैं।

अब संजू देवी का जीवन सुधर चुका है। वे अब दैनिक मजदूरी करने के बजाय अपने व्यवसाय से अच्छा पैसा कमा रही हैं। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत किया है।

शेखपुरा जिले के सुदासपुर गाँव की निवासी उषा देवी का जीवन शुरू से ही चुनौतियों से भरा हुआ था। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद, उषा देवी ने जीवन की उनेक कठिनाइयों का सामना किया। उनके परिवार में पहले ही गरीबी थी और शादी के बाद ससुराल में भी आर्थिक हालात बेहतर नहीं था। उनके पति भी दिव्यांग थे, जिससे घर का खर्च चलाना और बच्चों का पालन-पोषण और भी मुश्किल हो गया था। उषा देवी को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन बावजूद इसके जीवनयापन मुश्किल था। ससुराल वालों का सहयोग न मिलने के कारण उषा देवी को अपने पति के साथ मायके में ही रहना पड़ता था।

इस बीच वर्ष 2023 में उषा देवी दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। समूह से जुड़ने के बाद उषा देवी को स्वरोजगार करने का आत्मविश्वास मिला। उनकी खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जोड़ा गया। इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपये की विशेष निवेश निधि राशि से दुकान बनवाने में सहायता मिली तथा 20,000 रुपये की राशि से किराना दुकान के लिए आवश्यक सामान प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें सात महीने तक 1,000 रुपये की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि भी दी गई।

उषा देवी और उनके पति मिलकर अपनी दुकान चला रहे हैं, जिससे उनकी मासिक आमदनी 5,000-7,000 रुपये के बीच हो रही है। जिससे वे अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। वह लोग स्वच्छता और पोषण पर भी ध्यान दे रहे हैं। उषा देवी का जीवन अब सशक्त और आत्मनिर्भर हो गया है।





रोजगार मिलने से जीवन को नई दिशा मिली

रीता देवी, नवादा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत देदौर पंचायत के केन्दुआ ग्राम की रहने वाली है। उनके पति टेला रिक्शा चलाने का कार्य करते थे। जिसकी कमाई से पुरे परिवार का भरण-पोषण कठिनाई से होता था। एक दिन काम करने के दौरान उनके पति अचानक बीमार पड़ गये। इलाज करवाने के बावजूद उनके पति के तबीयत में सुधार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। रीता देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनके दो बेटा और दो बेटे का भरण-पोषण कैसे होगा। आस-पड़ोस के लोग भी इन्हें सहयोग नहीं कर रहे थे। रीता देवी के पास रहने के लिए सुरक्षित घर भी नहीं था। रीता देवी को घर से बाहर जाकर मजदूरी का काम करना पड़ रहा था, क्योंकि पूरे परिवार का बोझ रीता देवी के उपर आ गया था। वह बच्चों को पालने के लिए दूसरे के यहाँ मजदूरी करने लगीं। लेकिन हमेशा काम नहीं मिलने के कारण उनके परिवार को बहुत कठिनाई से जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा था। उनके परिवार के लोग भी सहयोग नहीं करते थे। दीदी की स्थिति दिन प्रतिदिन और भी दयनीय होती जा रही थी।

इस बीच अगस्त 2018 में रीता देवी के जीवन में आशा की नई किरण दिखाई दी, जब गायत्री जीविका महिला ग्राम संगठन से तीन सामुदायिक संसाधन सेवी दीदी ने उनके घर आकर उनसे बात किया। रीता देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया गया। योजना के तहत आगे चलकर रीता देवी को गायत्री जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा विशेष निवेश निधि की राशि के तहत 10000 रुपये दुकान की रैक बनवाने के लिए दी गयी। रीता देवी ने इस पैसा से दुकान के लिए रैक बनवा लिया। जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत ग्राम संगठन के द्वारा 20000 रुपये के किराना सामग्री खरीद कर उन्हें दिया गया। इसके अलावा जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रूप में 7 माह तक प्रति माह एक-एक हजार रुपए उन्हें प्रदान किया गया। मास्टर संसाधन सेवी एवं ग्राम संगठन के सहयोग से धीरे-धीरे वह अपने व्यवसाय का संचालन सही से करती है।



रीता देवी को किराना दुकान से अब प्रत्येक माह 6000 रुपये से 8000 रुपये की आय हो जाती है। साथ ही दीदी का बेटा भी गोलगप्पा और चाट बेचने का काम करता है, जिससे प्रत्येक माह में 18000 रुपये से 21000 रुपये तक की बिक्री हो जाती है। इन गतिविधियों से प्रति माह उन्हें 8000 से 10000 रुपये की आमदनी हो रही है। रीता देवी के पास वर्तमान में कुल परिसंपत्ति 1 लाख रुपए से अधिक है। अब उन्हें दूसरे के यहाँ काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सतत् जीविकोपार्जन योजना में जुड़ने से रीता देवी और उसके परिवार के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है।

रीता देवी द्वारा संचालित गतिविधि की विवरणी

वर्ष	बिक्री (रुपये में)	आमदनी (रुपये में)	कुल संपत्ति (रुपये में)
2021	2,61,038	62,782	67,534
2022	2,66,335	42,599	73,387
2023	3,05,379	64,561	86,878
2024	3,51,951	71,968	1,00,407

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम

- श्रीमती महुआ राय चौधरी - कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी - राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम

- श्री विकास राव - प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन - प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार - प्रबंधक संचार, लखीसराय

- श्री विप्लव सरकार - प्रबंधक संचार